13332/FS/05
5-8-15

सूचना का अधिकार

1675/15

प्रधान मंत्री कार्यालय

साउथ ब्लाक, नई दिल्ली - 110 011

दिनांक: 31/07/2015

संख्या आरटीआई/8775/2015-पीएमआर

Dy. No. 4977 (RTI) Sec./2015
दिनांक/Date 06/08/2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय - सूचना का अधिकार के तहत आवेदन-पत्र

उपर्युक्त विषय पर श्री दिनेश कुमार पासी से प्राप्त दिनांक 17.7.2015 का आवेदन-पत्र, जो इस कार्यालय में दिनांक 27.7.2015 को प्राप्त हुआ है, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के तहत यथोचित कार्रवाई हेतु अंतरित किया जा रहा है।

2. आवेदक से आवेदन-शुल्क प्राप्त हो गई है।

(पी.के. शर्मा)
अवर सचिव एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
☏: 2338 2590

विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली

सचिव, भारत सरकार
आर्थिक कार्य विभाग
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

प्रति- (रजिस्टर्ड पोस्ट ए.डी. द्वारा)

श्री दिनेश कुमार पासी
पुत्र श्री शत्रोहन लाल पासी
ग्राम जहाँनपुर
पोस्ट दाऊदपुर
जिला लखीमपुर-खीरी
उत्तर प्रदेश-262 701

कृपया आप इस संबंध में आगे सूचना हेतु उपरोक्त लोक प्राधिकरण से सम्पर्क करें। इस कार्यालय से संबंधित बिंदु संख्या 1 के संबंध में सूचना प्रधान मंत्री कार्यालय की वेबसाइट (www.pmoindia.gov.in) पर उपलब्ध है।

US(RTI)

- Dd(C)
- US(DBA)

6/8

6/8

8775/2015

8775 29/7/15

में,

प्रधानमंत्री महोदय / नामित जन सूचना अधिकारी,

(प्राधिकारी का नाम)

भारत सरकार नई दिल्ली।

(स्थान का नाम)

27 JUL 2015

"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा: 06 (01) (ख) के प्राविधानानुसार प्रमाणित प्रतियों के रूप में सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन-पत्र

महोदय,

आवेदक को उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवम् धारा के अन्तर्गत निम्नांकित सूचनाओं की प्रमाणित प्रतियों के रूप में आवश्यकता है। "उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवम् लागत विनियम) नियमावली, 2006" के नियम : 04 के प्राविधानानुसार "प्रार्थना पत्र शुल्क" राशि रुपये दस मात्र की अदायगी हेतु भारतीय पोस्टल आर्डर संख्या : 34F 161208 दिनांक 20/7/2015 डाकघर [illegible] द्वारा दिनांक 20/7/2015 को जारी एवम् .... डाकघर पर भुगतान योग्य, मूल रूप में संलग्न है।

कृपया "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005" की धारा : 07 (03) (क) के प्राविधानानुसार उक्त वांछित सूचनाओं निमित्त देय "सूचना प्राप्ति शुल्क" राशि की जानकारी भी आवेदक को अपने पत्र द्वारा तत्काल देने का कष्ट करें। जिससे उसे शीघ्र जमा कर सूचनायें प्राप्त की जा सकें।

वांछित सूचनाओं का विवरण निम्नांकित है :-

1- मा० प्रधानमंत्री महोदय आप द्वारा प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने से लेकर 15/07/2015 तक कुल कितने देशों का भ्रमण किया गया और उस पर आने वाला व्यय कुल कितना था और किस मद से उसका भुगतान [illegible] संक्षिप्त विवरण दिया जाए ?

2- मा० महोदय आप द्वारा विदेशी यात्रा के दौरान अपने कार्यकाल से आज तक 15/07/2015 तक किन-किन देशों को कितना धनराशि अनुदान दिया गया और उस अनुदान राशि को भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किस मद से भुगतान किया गया ?

3- मा० महोदय आप द्वारा विदेशी यात्रा के दौरान आप के कार्यकाल में आज तक 15/07/2015 तक कुल कितना धनराशि अन्य विदेशी देशों से अनुदान स्वरूप भारत के विकास के लिए प्राप्त किया गया संक्षिप्त विवरण दिया जाए ?

कृपया वांछित सूचनायें तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

दिनांक : 17/07/2015

स्थान : लखीमपुर खीरी

संलग्नक : उपरोक्तानुसार,

मूल पोस्टल आर्डर.

आवेदक

दिनेश कुमार पाल

(हस्ताक्षर)

....

(नाम एवम् पिता / पति का नाम)

दिनेश कुमार पाल S/O श्री [illegible] पाल

(पूरा पता) फोन नम्बर सहित,

ग्राम- जहाँगपुर पो०- [illegible]

जिला - लखीमपुर खीरी उ०प्र०

पिनकोड - 262701

मो०- 8948620922

URGENT

RTI ACT

35953

27/07/15 -

01/08/15

IPO No- 34F 161208 ₹ 10/-

4244776

S/551/24/2015
विदेश मंत्रालय
(दक्षिणी प्रभाग)
***

जवाहरलाल नेहरु भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 9 मार्च 2016

सेवा में,

श्री दीनेश कुमार पासी
ग्राम जहानपुर पोस्ट दाऊदपुर
जिला लखीमपुर-खीरी ,
उत्तर प्रदेश – 262701

महोदय,

कृपया अपने आवेदन पत्र क्रमांक – आरटीआई /8775/2015- पीएमआर दिनांक- 17 जुलाई 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसमे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आपने माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पद पर आशीन होने से लेकर 15/07/2015 तक की विदेश यात्रा की जानकारी मांगी थी।

2. आपके द्वारा मांगी गयी सूचना के विषय में, **ऑस्ट्रेलिया** के संदर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि ;

(अ) क्रमांक (i) - प्रधानमंत्री श्री नरेंद मोदी जी-20 लीडर शिखर सम्मेलन (ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया 15 नवम्बर, 2014) में भाग लेने के पश्चात ऑस्ट्रेलिया के द्वि-पक्षीय आधिकारिक यात्रा पर (16-18 नवम्बर, 2014) गए थे । उन्होने इस यात्रा के दौरान सिडनी, कैनबरा और मेलबोर्न की यात्रा करी ।

(ब) क्रमांक (ii) & (iii) भारत द्वारा ऑस्ट्रेलिया को किसी प्रकार की वितीय सहायता प्रदान नहीं की गयी है और ना ही प्राप्त की गयी है ।

3. यदि आप उपरोक्त सूचना से सहमत नहीं है, तो आप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के तहत इस पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर निमंलिखित प्रथम अपील प्राधिकारी को अपील कर सकते है ।

श्रीमान पीयूष श्रीवास्तवा
निदेशक (दक्षिण) एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
विदेश मंत्रालय, कमरा संख्या 3005
जवाहरलाल नेहरू भवन, नई दिल्ली- 110011
दूरभाष : 49015229, ईमेल- dirsouth@mea.gov.in

पूजा वेर्णेकर

(पूजा वी वेर्णेकर)
अवर सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष -49015241, ईमेल- usic@mea.gov.in

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक (दक्षिण), विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
2. अवर सचिव, आर॰ टी॰ आई॰ , विदेश मंत्रालय- सूचनार्थ
3. अवर सचिव (DD)